



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 452

6 Vaishakh, 1940 (S)

Ranchi, Thursday, 26th April, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

26th April, 2018

Notification No. -21/2018 – State Tax

S.O. No. 36 Dated 26th April, 2018:-- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2018.

(2) This notification shall be deemed to be effective from 18th April 2018.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) in rule 89, for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely:-

“(5). In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula:-

Maximum Refund Amount = {(Turnover of inverted rated supply of good sand services) x Net ITC ÷ Adjusted Total Turnover} - tax payable on such inverted rated supply of goods and services.

Explanation:- For the purposes of this sub-rule, the expressions –

(a) “Net ITC” shall mean input tax credit availed on inputs during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both; and

(b) “Adjusted Total turnover” shall have the same meaning as assigned to it in sub-rule (4).”;

(ii) for rule 97, the following rule shall be substituted, namely:-

“97. Consumer Welfare Fund.-(1) All amounts of duty/state tax/ integrated tax /Union territory tax/cess and income from investment along with other monies specified in sub-section (2) of section 12C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), section 57 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017(14 of 2017) and section 12 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017(15 of 2017) shall be credited to the Fund:

Provided that an amount equivalent to fifty per cent. of the amount of integrated tax determined under sub-section (5) of section 54 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017, read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, shall be deposited in the Fund.

(2) Where any amount, having been credited to the Fund, is ordered or directed to be paid to any claimant by the proper officer, appellate authority or court, the same shall be paid from the Fund.

(3) Accounts of the Fund maintained by the State Government shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India.

(4) The Government shall, by an order, constitute a Standing Committee (hereinafter referred to as the ‘Committee’) with a Chairman, a Vice-Chairman, a Member Secretary and such other members as it may deem fit and the Committee shall make recommendations for proper utilisation of the money credited to the Fund for welfare of the consumers.

(5) (a) The Committee shall meet as and when necessary, generally four times in a year;

(b) the Committee shall meet at such time and place as the Chairman, or in his absence, the Vice-Chairman of the Committee may deem fit;

(c) the meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman, or in his absence, by the Vice-Chairman;

(d) the meeting of the Committee shall be called, after giving at least ten days’ notice in writing to every member;

(e) the notice of the meeting of the Committee shall specify the place, date and hour of the meeting and shall contain statement of business to be transacted thereat;

(f) no proceeding of the Committee shall be valid, unless it is presided over by the Chairman or Vice-Chairman and attended by a minimum of three other members.

(6) The Committee shall have powers -

(a) to require any applicant to get registered with any authority as the State Government may specify;

(b) to require any applicant to produce before it, or before a duly authorized officer of the Central Government or the State Government, as the case may be, such books, accounts, documents,

instruments, or commodities in custody and control of the applicant, as may be necessary for proper evaluation of the application;

- (c) to require any applicant to allow entry and inspection of any premises, from which activities claimed to be for the welfare of consumers are stated to be carried on, to a duly authorised officer of the Central Government or the State Government, as the case may be;
- (d) to get the accounts of the applicants audited, for ensuring proper utilisation of the grant;
- (e) to require any applicant, in case of any default, or suppression of material information on his part, to refund in lump-sum along with accrued interest, the sanctioned grant to the Committee, and to be subject to prosecution under the Act;
- (f) to recover any sum due from any applicant in accordance with the provisions of the Act;
- (g) to require any applicant, or class of applicants to submit a periodical report, indicating proper utilisation of the grant;
- (h) to reject an application placed before it on account of factual inconsistency, or inaccuracy in material particulars;
- (i) to recommend minimum financial assistance, by way of grant to an applicant, having regard to his financial status, and importance and utility of the nature of activity under pursuit, after ensuring that the financial assistance provided shall not be misutilised;
- (j) to identify beneficial and safe sectors, where investments out of Fund may be made, and make recommendations, accordingly;
- (k) to relax the conditions required for the period of engagement in consumer welfare activities of an applicant;
- (l) to make guidelines for the management, and administration of the Fund.

(7) The Committee shall not consider an application, unless it has been inquired into, in material details and recommended for consideration accordingly, by the Member Secretary.

(8) The Committee shall make recommendations:-

- (a) for making available grants to any applicant;
- (b) for investment of the money available in the Fund;
- (c) for making available grants (on selective basis) for reimbursing legal expenses incurred by a complainant, or class of complainants in a consumer dispute, after its final adjudication;
- (d) for making available grants for any other purpose recommended by the Jharkhand Consumer Protection Council (as may be considered appropriate by the Committee);
- (e) for making available up to 50% of the funds credited to the Fund each year, for publicity/ consumer awareness on GST, provided the availability of funds for consumer welfare activities of the Department of Consumer Affairs is not less than twenty five crore rupees per annum.

Explanation.- For the purposes of this rule,

- (a) 'Act' means the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), or the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) as the case may be;
- (b) 'applicant' means,
 - (i) the Central Government or State Government;
 - (ii) regulatory authorities or autonomous bodies constituted under an Act of Parliament or the Legislature of a State or Union Territory;

- (iii) any agency or organization engaged in consumer welfare activities for a minimum period of three years, registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or under any other law for the time being in force;
- (iv) village or mandal or samiti or samiti level co-operatives of consumers especially Women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
- (v) an educational or research institution incorporated by an Act of Parliament or the Legislature of a State or Union Territory in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and which has consumers studies as part of its curriculum for a minimum period of three years; and
- (vi) a complainant as defined under clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), who applies for reimbursement of legal expenses incurred by him in a case instituted by him in a consumer dispute redressal agency.
- (c) 'application' means an application in the form as specified by the Standing Committee from time to time;
- (d) 'Jharkhand Consumer Protection Council' means the Jharkhand Consumer Protection Council, established under sub-section (1) of section 4 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), for promotion and protection of rights of consumers;
- (e) 'Committee' means the Committee constituted under sub-rule (4);
- (f) 'consumer' has the same meaning as assigned to it in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), and includes consumer of goods on which state tax has been paid;
- (g) 'duty' means the duty paid under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (h) 'Fund' means the Fund established by the State Government under sub-section (1) of section 12C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 57 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017);
- (i) 'proper officer' means the officer having the power under the Act to make an order that the whole or any part of the state tax is refundable;
- (iii) in **FORM GST ITC-03**, after entry 5 (e), for the instruction against "***", the following shall be substituted, namely:-
- “*** The value of capital goods shall be the invoice value reduced by 1/60th per month or part thereof from the date of invoice”
- (iv) after **FORM GSTR-8**, the following FORM shall be inserted, namely:-

9. Amount of tax payable and paid (based on Table 8)

Sr. No.	Description	ITC reversible/Tax payable	Tax paid along with application for cancellation of registration (GST REG-16)	Balance tax payable (3-4)	Amount paid through debit to electronic cash ledger	Amount paid through debit to electronic credit ledger			
						Central Tax	State/ Union territory Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Central Tax								
2.	State/ Union territory Tax								
3.	Integrated Tax								
4.	Cess								

10. Interest, late fee payable and paid

Description	Amount payable	Amount Paid
1	2	3
(I) Interest on account of		
(a) Integrated Tax		
(b) Central Tax		
(c) State/Union territory Tax		
(d) Cess		
(II) Late fee		
(a) Central Tax		
(b) State/Union territory tax		

11. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of authorized signatory _____

Name _____

Designation/Status _____

Date - dd/mm/yyyy

Instructions:

1. This form is not required to be filed by taxpayers or persons who are registered as :-
 - (i) Input Service Distributors;
 - (ii) Persons paying tax under section 10;
 - (iii) Non-resident taxable person;
 - (iv) Persons required to deduct tax at source under section 51; and
 - (v) Persons required to collect tax at source under section 52.
2. Details of stock of inputs, inputs contained in semi-finished or finished goods and stock of capital goods/plant and machiner on which input tax credit has been availed.
3. Following points need to be taken care of while providing details of stock at Sl. No.8:
 - (i) where the tax invoices related to the inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock are not available, the registered person shall estimate the amount under sub-rule (3) of rule 44 based on prevailing market price of the goods;
 - (ii) in case of capital goods/ plant and machinery, the value should be the invoice value reduced by 1/60thper month or part thereof from the date of invoice/purchase taking useful life as five years.
4. The details furnished in accordance with sub-rule (3) of rule 44 in the Table at Sl. No. 8 (against entry 8 (d)) shall be duly certified by a practicing chartered accountant or cost accountant. Copy of the certificate shall be uploaded while filing the details.”;

(v)for **FORM GST DRC-07**, the following shall be substituted, namely:-

“FORM GST DRC-07
[See rule 142(5)]
Summary of the order

1. Details of order –
 - (a) Order no. (b) Order date (c) Tax period -
2. Issues involved –<< drop down>> classification, valuation, rate of tax, suppression of turnover, excess ITC claimed, excess refund released, place of supply, others (specify)
3. Description of goods / services -

Sr. No.	HSN	Description

4. Details of demand

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax rate	Turnover	Place of supply	Act	Tax/ Cess	Interest	Penalty	Others
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature
 Name
 Designation

Copy to - -

Instructions:

1. This form is not required to be filed by taxpayers or persons who are registered as:-
 - (vi) Input Service Distributor;
 - (vii) Persons paying tax under section 10;
 - (viii) Non-resident taxable persons;
 - (ix) Persons required to deduct tax at source under section 51; and
 - (x) Persons required to collect tax at source under section 52.

2. In case of capital goods, the value should be the invoice value reduced by $1/60^{\text{th}}$ per month or part thereof from the date of invoice/purchase taking useful life as five years.”

[File.NoVaKar / GST / 04/ 2018]

By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,

Additional Chief Secretary-cum Commissioner

Note:-The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* notification No. S.O. 28-State Tax, dated the 20th June,2017 and last amended *vide* notification No. 14/2018- State Tax, dated the 30th March, 2018, published *vide* S.O. 31 dated the 30th March, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं० 21 /2018- राज्य कर

एस. ओ. 36 दिनांक 26 अप्रैल, 2018--झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियमावली, 2018 है ।

(2) यह अधिसूचना 18 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,--

(i) नियम 89 में, उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

“(5) विपरीत शुल्क ढांचा के मद्दे प्रतिदाय की दशा में, इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा:--

अधिकतम प्रतिदाय की रकम = {(व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त) x शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल आवर्त} - ऐसे व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) “शुद्ध आईटीसी” पद से सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न, जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, इनपुटों पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है ; और

(ख) “समायोजित कुल आवर्त” पद का वही अर्थ होगा जो उपनियम (4) में उसका है ।“;

(ii) नियम 97 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“97. **उपभोक्ता कल्याण निधि**—(1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12ग की उपधारा (2), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 57, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 और माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 12 में विनिर्दिष्ट अन्य धनराशियों के साथ शुल्क/ राज्य कर/एकीकृत कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/उपकर और विनिधान से आय की पूरी रकम को इस निधि में जमा किया जाएगा :

परंतु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन अवधारित एकीकृत कर की रकम के पचास प्रतिशत के बराबर रकम को निधि में जमा किया जाएगा ।

(2) जहां उचित अधिकारी, अपील प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा, निधि में जमा की गई किसी रकम को, किसी दावाकर्ता को संदाय करने का आदेश या निदेश दिया जाता है, वहां उसका संदाय निधि से किया जाएगा ।

(3) झारखण्ड सरकार द्वारा अनुरक्षित निधि के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अध्यक्षीन होंगे ।

(4) सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और उतने सदस्यों के साथ, जितने वह ठीक समझे, एक स्थायी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'समिति' कहा गया है) का गठन करेगी और समिति, निधि में जमा की गई धनराशि का उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु उचित उपयोग के लिए सिफारिशें करेगी ।

(5) (क) समिति की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, साधारणतया किसी वर्ष में चार बार होगी ;

(ख) समिति की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो समिति का अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, ठीक समझे ;

(ग) समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा, की जाएगी ;

(घ) समिति की बैठक, प्रत्येक सदस्य को लिखित में कम से कम दस दिन की सूचना देने के पश्चात् बुलाई जाएगी ;

(ङ) समिति की बैठक की सूचना में, बैठक का स्थान, तारीख और समय विनिर्दिष्ट होगा और उसमें किए जाने वाले कामकाज का विवरण अंतर्विष्ट होगा ;

(च) समिति की कोई कार्यवाही तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक उसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा न की जाए और उसमें कम से कम तीन अन्य सदस्य उपस्थित न हो ।

(6) समिति को,--

(क) किसी आवेदक से, किसी ऐसे प्राधिकारी के पास, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रीकृत कराने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी ;

(ख) किसी आवेदक से ऐसी पुस्तिकाएं, लेखे, दस्तावेज, लिखतें या आवेदक की अभिरक्षा और नियंत्रण में की ऐसी वस्तुओं को, जो आवेदन के उचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक हो, उसके समक्ष या यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष पेश करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी ;

(ग) किसी आवेदक से, किसी ऐसे परिसर में, जहां से उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु क्रियाकलापों के किए जाने का दावा किया गया है, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रवेश और निरीक्षण अनुज्ञात करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी ;

(घ) अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों के लेखाओं की संपरीक्षा करने की शक्ति होगी ;

(ङ) किसी आवेदक से, उसकी ओर से की गई किसी चूक या किसी सारवान जानकारी के छिपाए जाने की दशा में, समिति को मंजूर अनुदान का, उस पर प्रोद्भूत ब्याज के साथ एक मुश्त प्रतिदाय करने हेतु अपेक्षा करने की और उसे अधिनियम के अधीन अभियोजित करने की शक्ति होगी ;

(च) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी आवेदक से शोध्य रकम वसूल करने की शक्ति होगी ;

- (छ) किसी आवेदक या आवेदकों के किसी वर्ग से, अनुदान का उचित उपयोग उपदर्शित करते हुए, एक कालिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा करने की शक्ति होगी ;
- (ज) सारवान् विशिष्टियों में तात्त्विक असंगतता या गलती होने के कारण उसके समक्ष प्रस्तुत आवेदन को नामंजूर करने की शक्ति होगी ;
- (झ) किसी आवेदक को उसकी वित्तीय स्थिति और किए जाने वाले क्रियाकलाप की प्रकृति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उपलब्ध वित्तीय सहायता का दुरुपयोग नहीं होगा, अनुदान द्वारा न्यूनतम वित्तीय सहायता की सिफारिश करने की शक्ति होगी ;
- (ञ) ऐसे फायदाप्रद और सुरक्षित सेक्टरों की पहचान करने, जिनमें निधि में से विनिधान किए जा सकें और तदनुसार उनकी सिफारिशें करने की शक्ति होगी ;
- (ट) किसी आवेदक के उपभोक्ता कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में लगे रहने की अवधि के लिए अपेक्षित शर्तों को शिथिल करने की शक्ति होगी ;
- (ठ) निधि के प्रबंध और प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने की शक्ति होगी ।
- (7) समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी, जब तक सदस्य सचिव द्वारा, तदनुसार उसके सारवान् ब्यौरों की जांच न कर ली जाए और वह उस पर अपनी सिफारिश न दे दें ।
- (8) समिति निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करेगी :--
- (क) किसी आवेदक को अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए ;
- (ख) निधि में उपलब्ध धनराशि के विनिधान के लिए ;
- (ग) किसी उपभोक्ता विवाद में किसी परिवादी या परिवादियों के किसी वर्ग द्वारा उपगत विधिक व्ययों की उसके अंतिम न्यायनिर्णयन के पश्चात्, प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान (चयनात्मकता के आधार पर) उपलब्ध करवाने के लिए ;
- (घ) ऐसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिनकी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए (जो समिति द्वारा समुचित समझा जाए) ;
- (ङ) माल और सेवा कर के प्रचार/उपभोक्ता जागरूकता के लिए, प्रत्येक वर्ष निधि में जमा की पचास प्रतिशत तक धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए, परंतु उपभोक्ता मामले विभाग के उपभोक्ता कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता पच्चीस करोड़ रुपए प्रति वर्ष से कम नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,--

- (क) 'अधिनियम' से, यथास्थिति, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अभिप्रेत है ;
- (ख) 'आवेदक' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--
- (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ;
- (ii) संसद् या किसी राज्य के विधान मंडल या संघ राज्यक्षेत्र के किसी अधिनियम के अधीन गठित विनियामक प्राधिकरण या स्वशासी निकाय ;

- (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत, कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उपभोक्ता कल्याण संबंधित क्रियाकलापों में लगा हुआ कोई अभिकरण या संगठन ;
- (iv) ग्राम या मंडल या समिति या उपभोक्ताओं, विशेषकर स्त्रियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, की समिति स्तर की सहकारी सोसाइटी ;
- (v) संसद् या राज्य विधान मंडल या संघ राज्यक्षेत्र के किसी अधिनियम द्वारा भारत में निगमित ऐसी कोई शैक्षिक या अनुसंधान संस्था या संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन समझा गया विश्वविद्यालय के रूप में घोषित अन्य ऐसी शैक्षिक संस्थाएं, और जिनमें कम से कम तीन वर्ष से उपभोक्ता संबंधी अध्ययन उसके पाठ्यक्रम के रूप में चल रहा हो ; और
- (vi) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन यथा परिभाषित कोई शिकायतकर्ता, जिसने, उसके द्वारा किसी उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण में संस्थित किसी मामले में उसके द्वारा उपगत विधिक व्ययों की पूर्तिपूर्ति के लिए आवेदन किया है ।
- (ग) 'आवेदन' से आवेदन का ऐसा प्ररूप अभिप्रेत है, जो स्थायी समिति द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (घ) 'केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए स्थापित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् अभिप्रेत है ;
- (ङ) 'समिति' से उपनियम (4) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;
- (च) 'उपभोक्ता' का वही अर्थ होगा, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में उसका है और इसके अंतर्गत ऐसे माल के, जिस पर राज्य कर संदत्त किया गया है, उपभोक्ता भी हैं ;
- (छ) 'शुल्क' से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन संदत्त शुल्क अभिप्रेत है ;
- (ज) 'निधि' से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12ग की उपधारा (1) और झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 57 के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा स्थापित **उपभोक्ता कल्याण** निधि अभिप्रेत है ;
- (झ) 'उचित अधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम के अधीन ऐसा आदेश करने की शक्ति है कि संपूर्ण राज्य कर या उसका कोई भाग प्रतिदेय होगा ;

(iii) प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में, प्रविष्टि 5(ड) के पश्चात्, “**” के सामने अनुदेश के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“**पूंजी माल का मूल्य, बीजक की तारीख से प्रति मास 1/60वां या उसके भाग को घटाकर आया बीजक मूल्य होगा”;

(iii) प्ररूप जीएसटीआर-8 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

9. संदेय और संदत्त कर की रकम (सारणी 8 पर आधारित)

क्र.सं.	विवरण	आईटीसी विपर्यय/संदेय कर	रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन के साथ संदत्त कर (जीएसटीआरईजी-16)	संदेय अतिशेष कर (3-4)	इलैक्ट्रॉनिक नकद बही में विकलन के माध्यम से संदत्त रकम	विकलन के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही में संदत्त रकम			
						केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	केन्द्रीय कर								
2.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर								
3.	एकीकृत कर								
4.	उपकर								

10. संदेय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस

विवरण	संदेय रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) ब्याज		
(क) एकीकृत कर के मद्दे		
(ख) केन्द्रीय कर के मद्दे		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे		
(घ) उपकर के मद्दे		
(II) विलंब फीस		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

11. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम/प्रास्थिति _____

तारीख- दिन/मास/वर्ष

अनुदेश:

1. यह प्ररूप ऐसे करदाताओं या ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अपेक्षित नहीं है जो निम्नलिखित रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं :-
 - (i) इनपुट सेवा वितरक;
 - (ii) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति;
 - (iii) अनिवासी कराधेय व्यक्ति;
 - (iv) ऐसे व्यक्ति जिनसे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा है; और
 - (v) ऐसे व्यक्ति जिनसे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है।
2. इनपुट, अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के स्टॉक के और ऐसे पूंजीमाल/संयंत्र और मशीनरी के, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय का कर उपभोग किया गया है, स्टॉक के ब्यौरे।
3. क्रम सं० 8 में के स्टॉक के ब्यौरे उपलब्ध करवाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:
 - (i) जहां स्टॉक में धारित इनपुट या अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, मॉल की विद्यमान बाजार कीमत पर आधारित नियम 44 के उपनियम (3) के अधीन रकम का प्राक्कलन करेगा ;
 - (ii) ऐसे पूंजीमाल/संयंत्र और मशीनरी की दशा में मूल्य पांच वर्ष की उपयोगी अवधि के लिए बीजक/क्रय की तारीख से 1/60 प्रतिमास या उसके भाग को घटाकर आया बीजक मूल्य होगा ।
4. सारणी के क्रम संख्या 8 (प्रविष्टि 8(घ) के सामने) पर नियम 44 के उपनियम (3) के अनुसार दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किए जाएंगे । प्रमाणपत्र की प्रति को ब्यौरे फाइल करते समय अपलोड किया जाएगा।";

(v) प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 07 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

“प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 07

[नियम 142(5) देखें]

आदेश का सार

1. आदेश के ब्यौरे -

(क) आदेश सं.	(ख) आदेश की तारीख	(ग) कर अवधि -
--------------	-------------------	---------------
2. अंतर्वलित विवादक-<<नीचे देखें>>

वर्गीकरण, मूल्यांकन, कर की दर, व्यापारावर्त का अधिक्रमण, आईटीसी दावे का आधिक्य, निर्मोचित प्रतिदाय का आधिक्य, प्रदाय का स्थान, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
3. मालों/सेवाओं का विवरण --

क्र. सं.	एचएसएन	विवरण

4. मांग के ब्यौरे

(रकम रुपयों में)

क्र.सं.	कर की दर	व्यापारावर्त	प्रदाय का स्थान	कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

अपर मुख्य सचिव-सह-आयुक्त ।

टिप्पण: मूल अधिसूचना झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, सं. एस. ओ. 28 -राज्य कर, तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. एस. ओ. 31 -राज्य कर, तारीख 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 14/2018- राज्य कर, तारीख 30 मार्च, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।
